

भारत सरकार  
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  
मत्स्यपालन विभाग

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न संख्या 3701  
12 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

**तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन, 2025**

**3701. श्री अनन्त नायक:**

**श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:**

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ऐसी मत्स्य परियोजनाओं का कुल बजटीय परिव्यय (करोड़ रुपये में) कितना है, जिनका तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन, 2025 में उद्घाटन और शिलान्यास किया गया;
- (ख) मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) के अंतर्गत मछुआरों को वितरण हेतु स्वीकृत सुरक्षा ट्रांसपोंडरों की संख्या कितनी है; और
- (ग) क्या सम्मेलन में घोषित क्षेत्रीय मत्स्य परिषद का औपचारिक रूप से गठन कर दिया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री**

**(श्री जॉर्ज कुरियन)**

(क) तटीय राज्य मात्स्यिकी सम्मेलन 2025 का आयोजन 28 अप्रैल, 2025 को मुंबई में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर, माननीय केंद्रीय मंत्री ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत 7 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 255 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाले प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

(ख): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत, सभी 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मशीनीकृत (मेकेनाईज़्ड) और मोटर चालित (मोटोराईज़्ड) वेसल्स सहित, एक लाख मरीन फिशिंग वेसल्स पर स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसपोंडर लगाने के लिए 364 करोड़ रुपये के परिव्यय से वेसल कम्यूनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम के लिए नेशनल रोलआउट प्लान का कार्यान्वयन कर रहा है। अब तक, तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के फिशिंग वेसल्स पर 34,881 ट्रांसपोंडर लगाए जा चुके हैं।

(ग): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने अंतर-राज्यीय मात्स्यिकी संबंधी विवादों के समाधान हेतु 29 मार्च, 2023 के अपने आदेश द्वारा तीन रीजनल फिशरीस मैनेजमेंट काउन्सिल्स (RFMC) अर्थात् पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी RFMC का गठन किया है। इन RFMCs की सह-अध्यक्षता मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी) और संबंधित तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मात्स्यिकी विभाग के प्रभारी सचिव द्वारा वार्षिक रोटेशन के आधार पर की जाती है।

\*\*\*\*\*